राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राज0 जयपुर

क्रमांक एफ.3 (ख) (1) ( )/अलेसे–II/16537–16597 दिनांक :– 1मार्च 2013

आदेश संख्या 299/ 2012–13

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित लेखाकार (संयुक्त प्रतियोगी) सीधी भर्ती परीक्षा, 2011 में सफल घोषित किये जाने एवं आयोग की अनुशंषानुसार चयनित सूची में से निम्नांकित अभ्यर्थियों को एतद् द्वारा राज. अधीनस्थ लेखा सेवा नियम 6 के अनुसार परिवीक्षाधीन लेखाकार के रूप में उपस्थिति देने की तिथि से दो वर्ष की कालावधि के लिए रूपये 11100/– (ग्यारह हजार एक सौ रूपये) प्रति माह के स्थाई पारिश्रमिक पर अथवा जो अभ्यर्थी पूर्व से नियमित राज्य सेवा में कार्यरत है, उनके संदर्भ में वित्त विभाग की अधिसूचना कमांक प.1 (2) वित्त/नियम/06 दिनांक 13.03.2006 के अनुसार देय वेतन भत्तों पर उपस्थिति देने की संगत तिथि से एतद् द्वारा नियुक्त किया जाता है तथा आदेश दिये जाते है कि वे उनके नाम के सामने अंकित विभाग/ कार्यालय में दिनांक **18 मार्च 2013** तक **प्रातः 9.30 बजे** अपनी उपस्थिति आवश्यक रूप से देकर इस विभाग को सूचित करेगें अन्यथा उक्त तिथि के बाद उनके नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त समझे जावेगें ।

क.स.	मेरिट कनांक	रोल नम्बर	नाम/पिता का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता	जन्म तिथि	गृह जिला	श्रेणी	विभाग/ कार्यालय का नाम	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	17	201524	विनोद कुमार गर्ग/ बाबू लाल गुप्ता, प्लाट नं0 68, मधुवन कॉलोनी, सांयनाथ खिडकिया बाहर करौली–322241	15.07.1983	करौली	G.E.	बाल विकास परियोजना अधिकारी, बसेडी, धौलपुर	रिक्त पद पर
2	49	719770	सुनील कुमार शर्मा/नारायण प्रसादशर्मा द्वारा अलका पण्डित कचोरी वाला, आर एस ई बी के सामने, जयपुर रोड, दौसा–303303	24-10-1976	जयपुर	GE	महानिरीक्षक, पुलिस रेन्ज, उदयपुर	रिक्त पद पर
3	51	102479	मनीष चौहान / भागचन्द चौहान 131/ 3, पुराना पोस्ट आफिस के पीछे, काका स्वीटस की गली, पुलिस लाईन, अजमेर–	01-07-1987	अजमेर	BC	सहायक निदेशक, कृषि, (जिला परिषद), पाली	रिक्त पद पर
4	58	712901	देवकी नन्दन बन्सल/राजेन्द्र प्रसाद बंसल, रामनगर कालौनी, वार्ड न.11 भूदौली रोड, नीम का थाना, सीकर 332713	07.01.1987	सीकर	GE	उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, परिवार कल्याण, पाली	रिक्त पद पर
5	61	705347	विकास जोशी/कैलाश नाथ जोशी, सी–49, सेठी कॉलोनी, जयपुर–302004	11.10.1974	जयपुर	G.E.	अधीक्षक, वक्ष एवं क्षय रोग चिकित्सालय, उदयपुर	रिक्त पद पर
6	71	710589	प्रमोद शर्मा/शिव प्रसाद शर्मा 28, पटेल कॉलोनी, गवर्नमेन्ट प्रेस के सामने. सरदार पटेल मार्ग, जयपुर	01.07.1974	जयपुर	G.E.	जिला परिषद, आरडीसी, सिरोही	रिक्त पद पर
7	119	601289	नरेश देवपुरा/ रमेश चन्द देवपुरा , 109, रूप नगर, सेक्टर नं.3, हिरणमगरी , उदयपुर– 303002	09.10.1975	उदयपुर	G.E	अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, उदयपुर	रिक्त पद पर पति पत्नी प्रकरण
8	148	710507	अनिल कुमार जैन/महावीर प्रसाद जैन मकान नम्बर 67, तेजाजी चौक के पास, मु पो रसीली, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर – 303008	01.10.1984	जयपुर	G.E	अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर	रिक्त पद पर
9	159	700251	इतिका हारीत/ महेश चन्द्र शर्मा 1/216 विद्याधर नगर,जयपुर	07.07.1988	जयपुर	G.E.	कार्यकारी निदेशक, राजस्थान ढांचागत वित्त एवं विकास निगम (रूफडिको,) जयपुर	रिक्त पद पर प्रतिनियुक्ति पर
10	186	103888	लोकेन्द्र सिंह/ जय सिंह ई–3 शालीमार कॉलोनी, आदर्शनगर, अजमेर	07.09.1970	अजमेर	G.E.	बाल विकास परियोजना अधिकारी, सिरोही(ग्रामीण)	रिक्त पद पर
11	242	703835	सुनील कुमार अमन/पूरन चन्द अमन,आजाद चौक,रैगरो का मौहल्ला, नरायणा तहसील.फुलेरा जिला जयपुर–303348	07.07.1988	जयपुर	S.C	प्राचार्य, राजकीय पी जी कालेज, छात्र, नाथद्वारा, राजसमन्द	रिक्त पद पर
12	244	705438	धन्ना लाल बैरवा/रामकरण बैरवा ई–96, नारायण बिहार सेक्टर–3, प्रतापनगर, सांगानेर, जयपुर –302033	08-09-1975	जयपुर	S.C	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, पाली	रिक्त पद पर
13	245	500979	चन्द्र शेखर त्यागी/छत्रवीर त्यागी रामनगर कॉलोनी, तेल फेक्ट्री, बांरा	06.05.1985	बांरा	G.E.	सहायक निदेशक, कृषि, जिला परिषद, बांरा	रिक्त पद पर
14	260	701999	नरेश कुमार/रूडा राम मु0पो0 हरियाली, तहसील सांचोर, जिला जालौर– 343041	15.08.1984	जालौर	O.B.C	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सांचोर, जालौर	रिक्त पद पर
15	264	712736	कमलेश मीणा / पूनीराम मीणा ग्रा0 पो0, धनोली बाया सूरवाल, जिला सवाई माधोपुर– 322027	02.02.1970	सवाईमाधोपुर	S.T.	उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, परिवार कल्याण, झालावाड	रिक्त पद पर
16	279	102170	हर्ष सिंह राठौड / स्व. श्री प्रकाश सिंह राठौड. 4– एफ– 7, न्यू हाउसिंग बोर्ड, शास्त्रीनगर, भीलवाडा– 311001	07.08.1980	भीलवाडा	S.C.	बाल विकास परियोजना अधिकारी, प्रतापगढ	रिक्त पद पर
17	287	721956	अरविन्द कुमार मीणा/जोहरी लाल मीणा ग्रा0पो0 कोयला, तहसील बामनवास जिला सवाईमाधोपुर–322201	01.08.1990	सवाईमाधोपुर	S.T.	प्राचार्य, राजकीय पी जी कालेज, छात्र, बांरा	रिक्त पद पर
18	323	601467	गणपत लाल खटीक/मीरू लाल खटीक वीरवाल मोहल्ला कुरज, मुपो0 कुरज, तह0 रेलमगरा जि0 राजसंमद	02.06.1984	राजसमन्द	S.C.	पंचायत समिति, रेलमगरा, राजसमन्द	रिक्त पद पर

19	336	720239	नरेन्द्र कुमार वर्मा / जगदीश प्रसाद वर्मा ग्रा0बनेठी तह0 कोटपूतली जिला जयपुर – 303105	01.07.1974	जयपुर	S.C.	सहायक निदेशक, समेकित बाल संरक्षण योजना, जिला बाल संरक्षण इकाई, राजसमन्द	रिक्त पद पर
20	357	721974	हरि मोहन मीणा/ तेज राम मीणा ग्राम टीटम सलोना, पोस्ट खूँटला, तहसील गंगापुरसिटी, जिला सवाईमाधोपुर– 322224	15.05.1981	सवाईमाधोपुर	S.T.	राजस्थान राज्य खाद्य एवं आपूर्ति निगम लिमिटेड, राजसमन्द	रिक्त पद पर प्रतिनियुक्ति पर

उपरोक्त अभ्यार्थियों की लेखाकार पद पर नियुक्ति निम्नांकित शर्तो पर की जा रही है:–

1 उपरोक्त अभ्यर्थियों की जन्म तिथि इनके द्वारा परीक्षा आवेदन पत्र में अंकित एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा स्वीकृत जन्म तिथि के अनुसार तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण–पत्र के के आधार पर अंकित की गई है।

2 यह नियुक्ति संबंधित सेवा नियमों और सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों में अधिकथित निबन्धनों एवं शर्तो के अध्यधीन होगी।

3. यह नियुक्ति उप महानिरीक्षक,सी.आई.डी (सुरक्षा) जयपुर से अभ्यर्थी के चरित्र के संबंध में संतोषजनक प्रमाण– पत्र की शर्त पर है।

4 अभ्यर्थी को राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियमों के अनुसार भविष्य में अनिवार्य प्रशिक्षण पर उपस्थिति देते समय दस रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर एक अनुबन्ध पत्र / बाण्ड जो नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित हो देना होगा।

5 अभ्यर्थी को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 10 के अनुसार निर्धारित स्वास्थ्य परीक्षा प्रमाण पत्र जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा उससे उच्च पद के चिकित्सा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जाने चाहिये किन्तु महिलाओं के सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी, किसी महिला चिकित्सक का स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रमाण पत्र उपस्थिति के समय प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उपस्थिति स्वीकार्य नहीं होगी।

6 इन अभ्यर्थियों को परिवीक्षाकाल में विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। परिवीक्षा अवधि में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने की स्थिति में अथवा राज्य सरकार द्वारा अन्यथा आवश्यक समझे जाने पर परिवीक्षा की अवधि स्वविवेकानुसार बढाई जा सकती है। निर्धारित अवधि में विभागीय परीक्षा में दो बार से अधिक अनुतीर्ण होने पर इन्हें राज्य सेवा से मुक्त किया जा सकेगा।

7 परिवीक्षाधीन प्रशिक्षाणार्थी की परिवीक्षा की कालावधि के अन्तर्गत नियत पारिश्रमिक (Fixed remuneration) के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के भत्ते (विशेष भत्ता, मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, बोनस आदि) देय नहीं होगें ।

8 परिवीक्षाधीन प्रशिक्षार्थी को कार्यग्रहण काल एवं यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

9 यदि सरकार की राय में इनका कार्य या आचरण परिवीक्षा की समयावधि में सन्तोषप्रद नहीं पाया जाये अथवा यह प्रतीत हो कि इनमें एक दक्ष लेखाकार होने की क्षमता नहीं है तो सरकार इन्हें सेवा से तुरन्त विमुक्त कर सकेगी ।

10 उक्त नियुक्तियाँ माननीय न्यायालयों में विचाराधीन विभिन्न प्रकरणों के अन्तिम निर्णय के अध्यधीन होगी ।

यदि कोई अभ्यर्थी प्रशिक्षण अवधि में या प्रशिक्षण समाप्ति के दो वर्ष की अवधि में राजस्थान राज्य अधीनस्थ लेखा सेवा से त्याग पत्र देना चाहेगा अथवा अन्यत्र पदग्रहण करना चाहेगा तो ऐसा करने से पूर्व प्रशिक्षण अवधि में उनके द्वारा प्राप्त वेतन एवं भत्ते एवं प्रशिक्षण पर हुये व्यय की दोगुना राशि का भुगतान उसे एक मुश्त राजकोष में जमा कराना होगा।

इस विभाग से पत्र व्यवहार करते समय अभ्यर्थी अपने मेरिट क्रमांक एवं बैच वर्ष का उल्लेख अवश्य करें अन्यथा उनके पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

1.3.2013
निदेशक

क्रमांक एफ.3 (ख) (1) ( )/अलेसे–II/16537–16597 दिनांक :– 1मार्च 2013

प्रतिलिपि:–

1 शासन सचिव, वित्त(राजस्व) विभाग, राजस्थान जयपुर
2 सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
3 विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष .... को प्रेषित कर लेख है कि सम्बन्धित अभ्यार्थी द्वारा उनके कार्यालय में उपस्थिति देते समय राजस्थान सेवा नियमों के नियम 10 के अनुसार निर्धारित स्वास्थ्य परीक्षा प्रमाण पत्र जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा उससे उच्च पद के चिकित्सा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही उपस्थिति स्वीकार की जावे तथा कार्यग्रहण रिपोर्ट इस विभाग को भिजवाने की व्यवस्था करायें ।
4 श्री.. को प्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वे निर्धारित तिथि को उनके नाम के सामने अंकित कालम सख्या 8 में दिंनाक **18 मार्च 2013** तक आवश्यक रूप से उपस्थित होकर उपस्थिति रिपोर्ट सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से भिजवाया जाना सुनिश्चित करें ।
5 विशेषाधिकारी (कम्प्यूटर अनुभाग) वेबसाईट पर अपलोड हेतु
6 निजी सहायक, निदेशक
7 गोपनीय शाखा
8 रक्षित/निजी पत्रावली

अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक–I)

BOND TO BE EXECUTED BY GOVERNMENT SERVANT REQUIRED TO UNDERGO TRAINING ON RS.10/- NON JUDICIAL STAMP PAPER

This bond is made on the date of 2012 by Son of Shri resident of appointed to the post of ACCOUNTANT (hereinafter called the trainee) of the First Part and Son of Shri resident of (First Surety); and Son of Shri resident of (Second surety) hereinafter called collectively the sureties of the second part in favor of the Governor of the State of Rajasthan (hereinafter called the Government).

Whereas the Governor has selected the trainee for appointment to the post of ACCOUNTANT.

And whereas in accordance with Rules it is necessary for the trainee, before assuming independent charge of the post for which he has been also selected to undergo training for a period of 16 weeks.

And whereas the Government have agreed to place the trainee under training on the terms hereinafter mentioned and on the condition that the sureties shall give security for the due performance by the trainee of the said terms.

And whereas the sureties have agreed to give security for the due performance by the trainee of the said terms in the manner hereinafter after appearing.

Now this deed witnesses as follows:-

(1) In consideration of the Government selecting the trainee for appointment to the post of ACCOUNTANT and arranging for his training in accordance with the Rules, and in pursuance of the said agreement, the trainee hereby covenants with the Government that during the period of such training and within a period of Two year after the completion of such training, he shall not resign the post for which he has been selected as aforesaid, nor shall he take up any employment other than post for which he has been so selected.

(2) For the consideration aforesaid in pursuance of the said agreement the trainee and the sureties agree that if, during the period of training or within a period of Two year after the completion of training, the trainee shall resign or take other employment in contravention of clause (1) above, the trainee and the sureties shall jointly and severally pay to the Government the double of the emoluments paid by the Government to the trainee during the period of his training together with other expenses incurred by the Government thereon but excluding the amounts paid to the trainee by way of traveling and daily allowances under the relevant rules:

Provided that the trainee and the Parities shall not be required so to pay the emoluments paid to the trainee during the period of his training, if the training imparted to the trainee, in the opinion of the Government, likely to provide useful in the new appointment also.

In witness whereof this bond has been signed by the trainee and the sureties the day in year above written.

Signed by the Trainee:

Witness (I)

Witness (II)

Signed by the First Surety

Witness (I)

Witness (II)

Signed by the Second Surety

Witness (I)

Witness (II)

Note:- All above persons give Full name & Address

Accepted
D.T.A.